COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 334/2026

Sono P.S. case no. 56/2026

Md. Kokim @ Mokim Ansari & Other Vs. State of Bihar

30.05.2026 सोनो थाना काण्ड संख्या–56/2026, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 125(1), 125(2), 132, 121(1), 121(2), 109, 351(2), 352, 303(2), 263(1), 263(2) से संबंधित है, के अभियुक्त **मो0 मोकीम उर्फ मोकीम अंसारी,** उम्र–33 वर्ष, पिता–मो0 कलीम मियां उर्फ कारू मियां, निवासी ग्राम पैरा (मटिहाना), थाना सोनो, जिला जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड के सूचक धर्मेन्द्र कुमार, जो तत्समय पु0नि0 सह थानाध्यक्ष के पद पर सोनो थाना में पदस्थापित थे, के स्वबयान, जो कथित रूप से ग्राम पैरा में दिनांक–27.03.2026 को समय 1:45 बजे छापामारी के दौरान अंकित किया गया, के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–26.03.2026 समय 23:35 बजे थाना से पुलिस पदाधिकारी एवं शस्त्र बल के साथ कांड में फरार अभियुक्तों के विरूद्ध समकालिन अभियान में छापामारी हेतु थाना से प्रस्थान किया था एवं रात्रि गश्ती में दिनांक–27.03.2026 को समय 00:45 बजे ग्राम पैरा स्थित सोनो थाना कांड सं0–288/2023 के प्राथमिकी अभियुक्त शहनवाज अंसारी के घर के पास पहुंचा तथा फरार अभियुक्त के घर को खुलवाने का प्रयास करने लगा तो आवाज पर सामने वाले मकान का एक व्यक्ति निकला और अपने को वार्ड पार्षद रियाज अंसारी बताते हुए, कहने लगा कि आप लोग क्यों इनके घर को खुलवा रहे हैं। इस पर उसके द्वारा कहा गया कि माननीय न्यायालय से इसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट, इश्तेहार निर्गत हो चुका है और वह अभी तक फरार है। इसी कारण से इनके विरूद्ध छापामारी करने हेतु आये हैं। इस पर वार्ड पार्षद बोला कि इनकी गिरफ्तारी पर रोक है। उसके मोबाईल में आदेश फलक (order sheet) है, दिखाता हूँ एवं वह अपने मोबाईल से आदेश फलक (order sheet) ढूंढने के बहाने अपने मोबाईल से अपने परिवार एवं आस पास के लोगों को बुलाकर इक्ठठा करने लगा। इसी बीच उसके द्वारा अभियुक्त शहनवाज अंसारी के घर को आवाज देकर खुलवाया गया। इतने में गेट खोलते ही अभियुक्त के परिवार के महिला एवं पुरूषों द्वारा हल्ला करते हुए, बोलने लगे कि रात में पुलिस क्यों आयी है, शहनवाज अंसारी घर पर नहीं है। इस पर उसके द्वारा समझाकर कहा गया कि घर में देख लेते है। अगर वह नहीं होगा तो वे लोग वापस चले जाएंगे। इस पर वे लोग हल्ला हंगामा करने लगे और वार्ड पार्षद, उसका भाई एवं उसके परिवार के सदस्य के लोगों को घर के अंदर बुला लिया और अभियुक्त के परिवार के सदस्य के साथ मिलकर हंगामा करने लगे और पुलिस चोर है, चोर है, कहते हुए उन लोगों को गाली गलौज करने लगे। इसी हल्ला के बीच वे लोग पुलिस बल के सहयोग से घर में प्रवेश किया तथा खोजबीन के दौरान एक कमरे में पलंग के अंदर एक व्यक्ति छुपा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम शहनवाज अंसारी बताया, जो सोनो कांड सं0–288/2023 के प्राथमिकी अभियुक्त था। इन्हें कांड के संबंध में बताया गया तथा बताया गया कि माननीय न्यायालय से आपके विरूद्ध इश्तेहार निर्गत है। पकड़ाये व्यक्ति की कागजी कार्रवाई करने हेतु ज्योंही कमरे से बाहर निकले कि उसी समय उनके परिवार के लोग एवं वार्ड पार्षद तथा उसके परिवार के सदस्य एवं अभियुक्त तथा अभियुक्त के परिवार के सदस्यों के द्वारा चोर–चोर का हल्ला करने लगे और पुलिस को भगाओ–भगाओ, पुलिस को मारो–मारो कहते हुए लोग अपने अपने हाथ में लाठी

डंडा लोहा का रड, ईट लेकर मारने के लिए अचानक जानलेवा हमला कर दिया जिससे साथ के पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 मधु कुमारी, पु0अ0नि0 नन्हें कुमार दुबे, पु0अ0नि0 मनोज कुमार सिंह, गृह रक्षक जयप्रकाश सिंह, अमन कुमार को चोट लगी और वे जख्मी हो गये तथा वार्ड पार्षद एवं अभियुक्त सहनवाज अंसारी के पिता दोनों मिलकर एक जवान का रायफल छिनने लगे इस क्रम में अभियुक्त के पिता द्वारा गृह रक्षक जयप्रकाश सिंह को ईंट से सिर में मारकर जख्मी कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिस अपना बचाव करने लगी। इसी क्रम में वार्ड पार्षद एवं अभियुक्त के पिता एवं अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा अभियुक्त को उनके कब्जे से खींचकर घर से भगा दिया गया। इस हमला में उसके साथ भी धक्का मुक्की किया गया तथा साथ के पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य गृह रक्षक भी गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गये तत्पश्चात साथ के बल के सहयोग से उक्त जख्मी सभी पुलिस पदाधिकारी एवं जवान को पुलिस वाहन से ईलाज हेतु सोनो अस्पताल भेजा जा रहा है। उन लोगों पर हमला करने वालों के बारे में स्थानीय चौकीदार से पूछताछ किया तो उसके द्वारा बताया गया कि हमला करने वाले वार्ड पार्षद रियाज अंसारी, ग्यास अंसारी, रिजवान अंसारी, शबाव अंसारी, नवाब अंसारी, मो0 सोहेब, अकिदा खातुन, सालेहा खातुन, साजरा खातुन, सहनवाज अंसारी, साबीर अंसारी, साबीर अंसारी का छोटा बेटा, साबीर अंसारी का छोटा बेटा, तसलीम आलम, गुलाम सदीक, बहाव का छोटा बेटा, सहनवाज अंसारी की पत्नी, साबीर अंसारी की पत्नी हमला किया था। साथ ही चौकिदार के द्वारा बताया गया कि वार्ड पार्षद हाल ही में इसी केस में जेल से बाहर निकला है और वह बहुत ही मनबढु एवं दबंग किस्म का व्यक्ति है, सारा हंगामा इसी के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि छापामारी के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पकड़ाये हुए अभियुक्त को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाने, पुलिस बल पर जानलेवा हमला कर जख्मी करने तथा पुलिस बल से सरकारी हथियार छिनने का प्रयास करने तथा गाली गलौज करना एक संज्ञेय अपराध है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त इस मामले में नामजद अभियुक्त नहीं है किंतु अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आवेदक अभियुक्त को झूठा फंसाया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक अभियुक्त का सह अभियुक्त शहनवाज अंसारी से कोई संबंध नहीं है और ना ही के रिस्तेदार है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से कराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि जिस सोनो थाना कांड सं0–288/2023 के लिए पुलिस दिनांक–26.03.2026 को रात्रि में पौने 12 बजे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी करने गयी थी, वह कांड अनुसूचित

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 334/2026

Sono P.S. case no. 56/2026

Md. Kokim @ Mokim Ansari & Other Vs. State of Bihar

जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग (Allegation) के लिए था तथा इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को No Corecive का Protection प्रदान किया जा चुका था तथा इसकी सूचना इस न्यायालय द्वारा संबंधित थाने के एस0एच0ओ0 को व्हाटसअप में भी दी गयी थी ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भूलवश भी ना हो जाये। इस मामले की प्राथमिकी से स्पष्ट है कि एक अभियुक्त रियाज अंसारी ने पुलिस को इस तथ्य से अवगत कराया एवं अपने मोबाईल से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को दिखाना चाहा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सोनो थाना कांड सं0–288/2023 के सह अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा विचारण (Trial) के उपरांत दोषमुक्त किया जा चुका है क्योंकि कांड के सूचक एवं कथित पीड़ित ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जिन व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज की, घटना की उन्हें वह नहीं पहचानता है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने पुलिस से कहा है कि रात्रि में पुलिस क्यो आयी है। प्राथमिकी से यह भी स्पष्ट है कि दरवाजा खुलवाकर लगभग 12 बजे रात्रि में एक अभियुक्त के घर के सदस्य के विरोध के बावजूद उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी थी। अतः मेरे विचार से इस मामले के अभियुक्त को जमानत से इंकार करना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।